<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2, अम्बेडकर नगर।</u>

<u>सत्र परीक्षण संख्या–21/2020</u>

उ०प्र० राज्य – – – बनाम – – – मनीष आदि

<u>दिनांक 13.12.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित। अभियुक्तपक्ष की ओर से प्रा०पत्र कागज संख्या–32अ अंतर्गत धारा–311 दं०प्र०सं० के निस्तारण पर बल दिया गया।

<u>निस्तारण प्रा०पत्र कागज संख्या–32अ–</u>

उक्त प्रा०पत्र कागज संख्या–32अ अभियुक्तगण की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण का मुकदमा साक्ष्य में चल रहा है। विगत तारीख पेशी 25.09.2023 ई० को मुकदमा उपरोक्त की अभियोजन साक्षी सं०–3 शान्ती देवी की जिरह हेतु नियत था, परन्तु विगत तारीख पेशी पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता अपने निजी कार्य से इलाहाबाद चले गये थे, जिस कारण उक्त साक्षी से जिरह नहीं हो सकी और न ही प्रार्थीगण की तरफ से स्थगन प्रार्थनापत्र ही दिया जा सका। फलस्वरूप अभियोजन साक्षी संख्या–3 से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया। उक्त साक्षी मुकदमें की महत्वपूर्ण साक्षी है। मुकदमें के गुण–दोष के आधार पर निस्तारण हेतु उपर्युक्त साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना की गई है कि उपर्युक्त आधारों पर अभियोजन साक्षी संख्या–3 शान्ती देवी को पुनः जिरह हेतु तलब करने की कृपा की जाये।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उक्त प्रा०पत्र पर "विरोध है" पृष्ठांकित किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 25.09.2023 को साक्षी संख्या–3 शांति देवी न्यायालय में उपस्थित थी और बचावपक्ष की ओर से उक्त साक्षी से जिरह हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई मौका प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया था, जिस कारण उक्त साक्षी की शेष जिरह 'निल' की गई। वि० अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा उक्त नियत तिथि को अपने निजी कार्य से इलाहाबाद चले जाने के कारण जिरह न कर पाना कहा गया है। उक्त साक्षी प्रकरण के मृतक की पत्नी है और महत्वपूर्ण साक्षी है। अतः वादीपक्ष को हुई असुविधा एवं मामले के गुण–दोष के निस्तारण हेतु तथा सुनवाई का अवसर देने हेतु न्यायहित में प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रा०पत्र कागज संख्या–32अ मु० 500/– रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। उक्त अधिरोपित हर्जा नियत तिथि पर साक्षी संख्या–3 शान्ती देवी को प्रदान किया जायेगा। साक्षी संख्या–3 शान्ती देवी जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते जिरह दिनांक 29.01.2024 को पेश हो।

दिनांकः 13.12.2023

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–2, अम्बेडकर नगर।
जे०ओ० कोड–(UP 1561)

Digitally signed by Abhishek Kumar Srivastav
Date: 2023.12.13 17:15:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court